न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी, जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी : : : संजय कुमार मीना (RJS)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या –242/2026, जमानत आवेदन संख्या –90/2026
सी.आई.एस. नं. –88/2026

1. जितेन्द्र सिंह सोलंकी पुत्र श्री जगदीश, उम्र–37 साल, निवासी– माता जी का मोहल्ला, देओरावास पुलिस थाना गाड जिला टोक राजस्थान हाल किरायेदार रेखा सांसी मकान निर्माणधीन होटल के पीछे बैनाडा मोड बस्सी, जयपुर।

अभियुक्त/प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य

अभियोजन

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस
अपराध अन्तर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, पुलिस थाना बस्सी, जयपुर पूर्व

उपस्थिति :
1. विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल मिश्रा, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

: आदेश :

दिनांक : 25.04.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपराध में यह जमानत का यह प्रथम आवेदन पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र धारा 480 बी.एन.एस.एस के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–12, बस्सी, जयपुर महानगर–प्रथम द्वारा दिनांक 22.04.2026 को अस्वीकार किया गया है। बहस सुनी गई तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 16.04.2026 को श्री सुरेन्द्र उ.नि. आई/सी थाना पुलिस थाना बस्सी जयपुर पूर्व के मोबाईल पर ए.एन.टी.एफ. टीम से श्री प्रहलाद सउनि ने जरिये दुरभाष सूचना दी कि बैनाड़ मोड़ के पास एक निर्माणाधीन होटल के पीछे एक मकान के पास

व्यक्ति बैठा है, जिसके पास बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा व शराब बरामद हो सकते हैं, आदि सूचना विश्वसनीय होने पर कार्यवाही हेतु मन आई/सी थाना मय जाप्ता मुताबिक सूचना के स्थान पर पहुंचा जहां मुताबिक हुलिए का एक व्यक्ति मकान की आड में संदिग्ध बैठा दिखाई दिया, जो बावर्दी पुलिस जाप्ता को देखकर घबराने लगा तथा दाये–बाये होने लगा, जिसे मन आई/सी थाना में स्वयं का परिचय देते हुए उक्त शख्स से नाम पता पूछता तो उसने अपना नाम जितेन्द्र सिंह सोलंकी होना बताया। उसे प्राप्त सूचना से अवगत कराकर तलाशी के लिए अवगत कराया तो पृथक से लिखित में सहमति दी, जिस पर मौजूदा शख्स द्वारा तलाशी ली गई तो पेंट की दाये जेंब में एक प्लास्टिक की थैली में हरे रंग का डंठल दार पदार्थ दिखाई दिया, जिसके बारे में उक्त सख्स से पूछा तो गांजा होना बताया। जिस पर शख्स जितेन्द्र सिंह से उक्त मादक पदार्थ को अपने कब्जे में रखना, भण्डारण करने व परिवहन करने बाबत् अनुज्ञापत्र/वैध लाईसेंस के बारे में पूछा गया तो नहीं होना बताया। जितेन्द्र सिंह से मिले अवैध मादक पदार्थ गांजा का वजन किया गया तो प्लास्टिक थैली सहित वजन 25.6 ग्राम व शुद्ध वजन 18.8 ग्राम होना पाया गया। जिसे वजह सूबत जब्त किया गया। जितेन्द्र सिंह के सामने रखे खाकी रंग के कार्टूनों को चैक किया तो उनमें अवैध देशी शराब तथा अवैध मादक पदार्थ गांजा व देशी शराब की बिक्री राशि 11590/– रूपये मिले। .....इत्यादि" जिस पर पुलिस थाना कानोता में मुकदमा संख्या 242/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

3. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी से कोई माल बरामद नहीं हुआ है। अब कोई बरामदगी भी शेष नहीं है। प्रार्थी कानून पसंद व अमन पसंद व्यक्ति है, प्रार्थी सजायाफ्ता मुजरिम नहीं है। प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में तथा और अधिक दिनों तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने से उसके चरित्र और भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना है। प्रर्थी के विरूद्ध मुकदमा भी ऐसा नहीं है जिसकी सजा आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड हो मुकदमा मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल किये जाने योग्य हैं प्रार्थी से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ भी हो चुकी है। प्रकरण के अनुसंधान व अन्वीक्षा

में अभी लंबा समय लगने की पूरी संभावना है। प्रकरण में प्रार्थी के विरूद्ध किसी भी गवाह ने कोई आरोप नहीं लगाये है और ना ही उसके विरूद्ध किसी प्रकार के बयान दिये हैं। प्रार्थी को जमानत का लाभ दिये जाने के पश्चात् उनके द्वारा प्रकरण के गवाहों को डराने धमकाने या बहलाने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी के कहीं भागने, पलायन या देश छोड कर भागने की संभावना नहीं है। अंत में जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी/अभियुक्त को उचित जमानत मुचलको पर रिहा करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया व जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

5. प्रकरण पर सुना गया। अनुसंधान पत्रावली एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा पूर्व का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैः–

क्र. सं.	प्रकरण सं0	धारा	थाना	नतीजा
1.	133/2019	341, 323, 504, 34 आईपीसी	घाड	विचाराधीन न्यायालय
2.	43/2016	341, 323, 336, 34 आईपीसी	घाड	विचाराधीन न्यायालय
3.	252/2016	147, 148, 341, 323, 325, 307, 302, 149 आईपीसी	टोडारायसिंह	विचाराधीन न्यायालय
4.	289/2025	19/54 आबकारी अधिनियम	खो नागोरियान	विचाराधीन न्यायालय
5.	163/2022	8/20,8/29 एनडीपीएस एक्ट	पंडेर	विचाराधीन न्यायालय

6. केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि मुलजिम पर अपने कब्जे में अवैध मादक पदार्थ गांजा शुद्ध वजन 18.8 ग्राम व 119 घूमर देशी शराब के, 15 पव्वे व्हाईट लेक वोदकर के, 9 पव्वे रोयल क्लास्कि व्हिस्की के व 5 पव्वे एमसी डॉवेल्सनं. 1 शराब रखने का आरोप है। यह सही है कि मुलजिम के विरूद्ध पूर्व के 5 आपराधिक मामले है परंतु जप्तशुदा शराब की मात्रा और उसकी न्यायिक अभिरक्षा को देखते हुए एवं उक्त प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

7. फलतः अभियुक्त जितेन्द्र सिंह सोलंकी पुत्र श्री जगदीश की ओर से प्रस्तुत यह जमानत का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस एतद्नुसार स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी नियमित उपस्थिति हेतु

25,000–25,000/–रूपये (पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये) की दो सुदृढ़ जमानतें व 50,000/– रुपये (पचास हजार रूपये) का मुचलका प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवें, तो उसे तुरन्त जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे। आदेश की एक प्रति अविलम्ब अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। न्यायिक नजीर **In Re Policy Strategy For Grant of Bail, SMWP (Criminal) No. 4/2021, Dated 31-01-2023** की पालना में प्रार्थी/अभियुक्त को व्यक्तिगत नोटिस हेतु आदेश की प्रति जरिये ई–मेल संबंधित कारागृह को प्रेषित की जावे।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी,
जयपुर महानगर–प्रथम।

8. आदेश आज **दिनांक 25.04.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी,
जयपुर महानगर–प्रथम।